राजस्थान सरकार

कार्यालयःवरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, किशनगढ़, जिला–अजमेर, (राज.)

क्रमांकः सीधी भर्ती/च.श्रे.कर्म./किशनगढ/2017/ दिनांक :

विज्ञापन संख्या–01/2017

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
2. अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा।
3. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
4. **पेंशनः–** नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर अशंदायी पेंशन योजना लागु होगी।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं प. 12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.11(7)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 (अनुसूची–4) के अनुसार 2 वर्ष की परिविक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जावेगी।
6. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिविक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत, पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा। भर्ती नियमों में उल्लेखित परिविक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही नियमित वेतन श्रृंखला एवं भत्ते देय होगे।

आयुः– राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम, 1999 के अनुसार आवेदक 1 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में :–

1. पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की होंगी।
2. रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होंगी।
3. भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम,1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रॉस/वीरचक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
4. विधवाओ और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
   स्पष्टीकरणः विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।
5. एन.सी.सी. के कैडिट–प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालाअवधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
6. भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्वि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

7. अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–

1. किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती हैं, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया हैं, जिसके पहले जीवित पत्नि है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती हैं, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
3. किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा, अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वहीं तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961 (सेंन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
4. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदन जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस पद हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें।
6. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नही समझाा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :– परन्तु यह और कि जहाँ किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहा बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
7. अभ्यर्थी लिखित व मौखिक सिफारिश करवाता है तो नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जावेगा।
8. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे।
9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश सर्वथा लागू होगे।
10. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 01.09.2017 तक कार्यालय वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, किशनगढ रखे गये बॉक्स में कार्यालय समय में डाल सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगे चाहे डाक व्यवस्था से विलम्बित ही क्यों नहीं हुए हो।
11. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 9" गुणा 4" साईज का लिफाफा जिस पर रूपये 25/– का डाक टिकिट लगा हो, संलग्न करना आवश्यक है।